न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

उनवान - रामेश्वर V/s राजेन्द्र कुमार वगै.

टीआर मु.नं. 64/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3/11/25	आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/दोरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 21/11/25 को पेश हों'
21/11/25	आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/दोरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 5/1/26 को पेश हों'
5/1/26	आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/दोरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 16/2/26 को पेश हों'
16/2/26	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा० 5 को तामिल रजिस्टर्ड ए.डी. के साथ भिजवायी गई थी। जिसे छः माह से भी अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी सं. 1 लगा० 5 उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थीगण सं. 1 लगा० 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते/बहस टीआई हेतु दिनांक 10.03.2026 को पेश हो।
10/03/26	वकील प्रार्थी उप०। वास्ते बहस टीआई हेतु दिनांक 28.04.2026 को पेश हो।
28/04/26	वकील प्रार्थी उप०। बहस टीआई सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 29/04/26 को पेश हो।
29/04/26	वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली पेश हुई। पृथक से निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली तैमल शुमार होकर नम्बर से कम हो व मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम	:–	संजू मीना (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या	:–	64/2025
दायर दिनांक	:–	12.06.2025
निर्णय दिनांक	:–	29.04.2026

उनवान्

रामेश्वर पुत्र रामकिशन उम्र लगभग 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी बीचलवास तहसील दौसा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी टोडाभीम करौली।
2. विमला देवी पत्नि कैलाशचन्द सैनी जाति माली निवासी मोहचिंगपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा।
4. तहसीलदार तहसील दौसा (लैण्ड होल्डर)
5. एचडीएफसी बैंक लि0 जरिए शाखा प्रबन्धक आगरा रोड दौसा।

अप्रार्थीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 64/2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया गया है कि ग्राम बीचलवास तहसील दौसा जिला दौसा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 0.77 है0 स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी रामेश्वर हिस्सा 25/77 अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार हिस्सा 26/77, विमला देवी हिस्सा 26/77 के खातेदार है अपने अपने हिस्से पर वाहमी तकास्मा अनुसार काबिज है। उक्त वर्णित भूमि शामलाती की भूमि है राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का हिस्सा दर्ज है लेकिन अभी तक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य भूमि का विभाजन नहीं हुआ जिसकी वजह से भूमि के लगान व कब्जे को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य विवाद रहता है। ग्राम बीचलवास दौसा शहर के पास ही स्थित होने से

लगातार....2....

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

कार्यालय सहायक कलक्टर दौसा, जिला

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बिना तकास्मा हुए भूमि पर निर्माण कार्य करना चाहते है एवं प्लाटिंग करना चाहते है प्रार्थी ने कई बार उसे भूमि के विभाजन के लिए समझाया तो भी वे नहीं मान रहे हैं एवं दिनांक 09.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 अपने कुछ असामाजिक तत्वो को लेकर आया एवं उसने धमकी दी कि मेरी अप्रार्थी संख्या 1 से बात हो गई है एवं दोनों मिलकर प्लाटिंग कर भूमि में निर्माण करेंगे। प्रार्थी ने उन्हें पहले तकास्मा करने की बात कही तो वो नाराज हो गयी एवं उसने बिना तकास्मा हुए विशिष्ठ भूभाग में निर्माण की चेतावनी दी एवं तकास्मा करने से मना कर दिया। अतः बिनाय मुखास्मत पैदा होकर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बिना तकास्मा भूमि खसरा नम्बर 58 वाके बीचलवास पर निर्माण करने व प्लाटिंग कर भूमि की प्रकृति बदलने पर आमादा है। यदि वे ऐसा करते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की सूरत है। इसलिए प्रार्थी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में तकास्मा करने का अधिकारी है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस स्पष्ट प्रमाणित है सुविधा संतुलन की तुला व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो खसरा नम्बर 58 वाके ग्राम बीचलवास तहसील दौसा जिला दौसा में स्वयं अथवा एजेन्टो, कारीगरो व रिश्तेदारो के द्वारा बिना तकास्मा हुए किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने से एवं उक्त भूमि में होकर किसी प्रकार की प्लाटिंग कर विशिष्ठ भूभाग में निर्माण करने से अस्थाई तौर पर प्रतिबंधित रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. जारी होकर तलबी की गई। बावजूद तामिल उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 व 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर दिनांक 28.04.2026 को एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से बहस के दौरान अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैः–

1. **<u>प्रथम दृष्ट्या मामलाः</u>**–पत्रावली पर उलब्धं रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 58 रकबा 0.77 हैक्टेयर वाके ग्राम बीचलवास प्रार्थी रामेश्वर पुत्र रामकिशन हिस्सा 25/77 अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम हिस्सा 26/77, विमला देवी पत्नि कैलाशचंद हिस्सा 26/77 खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं अपने अपने हिस्से पर वाहमी तकास्मा अनुसार काबिज है।

लगातार....3....

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बिना तकास्मा भूमि खसरा नं. 58 वाके बीचलवास पर निर्माण करने व प्लाटिंग कर भूमि की प्रकृति बदलने पर आमादा है। यदि वे ऐसा करते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलनः</u>— प्रार्थी का कथन है कि उपर वर्णित भूमि शामलाती की भूमि है राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से में दर्ज है, लेकिन अभी तक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य भूमि का विभाजन नहीं हुआ है जिसकी वजह से भूमि के लगान व कब्जे को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य विवाद रहता है। उक्त खसरा नं. 58 ग्राम बीचलवास दौसा शहर के पास स्थित होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बिना तंकास्मा हुए भूमि पर प्लाटिंग करना चाहते हैं एवं निर्माण कार्य करना चाहते है जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पडेगा एवं उसे असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन का बिंदु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में साबित होता है।

3. <u>अपूर्णीय क्षतिः</u>— प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में साबित होता है।

प्रश्नगत आराजी खसरा नं. 58 रकबा 0.77 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर वाके ग्राम बीचलवास पटवार हल्का भांकरी भू0अ0नि0क्षेत्र भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित, राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी रामेश्वर पुत्र रामकिशन हिस्सा 25/77, अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम हिस्सा 26/77, विमला देवी पत्नि कैलाशचन्द हिस्सा 26/77 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में साबित होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजू मीना)
सहायक कलक्टर, दौसा
दौसा, जिला दौसा